ग्राम पंचायत बाथू, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018

भाग – एक

1 प्रस्तावना :-

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बाथू, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधिमें ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	प्रधान का नाम	अवधि
1	श्रीमती सुरेखा रानी	1-04-2015 से 22-01-2016
2	कँवर कृष्ण राणा	23-01-2016 से लगातार

सचिव :-

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1	श्री राकेश कुमार	1-04-2015 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत, बाथू के लेखाओं अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.97
2	6	अनुदान का उपयोग न करना	58.43
3	7(i) (क)	नीलामी की दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण हुई हानि	1.15
4	7(ii)	ठेके की शेष बची राशि की दिनांक 31-03-18 तक वसूली न करना	0.25
5	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बगैर निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय करना	3.69
6	9	उचित बिलों के बगैर निर्माण सामग्री का क्रय करना	2.45

7	10	14 सोलर लाइट को सरकारी उपक्रम हिम उर्जा से क्रय न करना	2.79
8	11	मनरेगा में मस्टररोलो के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	5.76

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत बाथू, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 4-05-2018 से 8-05-2018 तक ग्राम पंचायत , बाथू में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है-

आय:- 5/15, 3/17 व 3/18

व्यय:- 11/15, 2/17 व 10/17

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उतरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत बाथू, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या–115 दिनांक 4-05-2018 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत, बाथू से अनुरोध किया गया। जिसकी अनुपालना में सचिव ग्राम पंचायत, बाथू द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को के० सी० सी० बी० हरोली के बैंक ड्राफ्ट संख्या 292885 दिनांक 5-5-2018 के अंतर्गत निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश के नाम भेज दिया गया है।

4 **(क) वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत, बाथू द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं की संकलित वितीय स्थिति निम्न प्रकार सेहै:-

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	1415537.55	7907489	110524	9433550.55	6628762.98	2804787.57
2016-17	2804787.57	5189649	164275	8158711.57	2738040.97	5420670.60
2017-18	5420679.60	4893733	257393	10571796.00	3223966.00	7347830.60

(i) स्वयंस्त्रोत :-

ग्राम पंचायत बाथू द्वारा **परिशिष्ट – क** पर अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक स्वयं स्त्रोतों की वितीय स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	681192.1	309416	109571	1100179.1	437015	663164.1
2016-17	663164.1	238543	163725	1065432.1	58753	1006679.1
2017-18	1006679.1	199174	255940	1461793.1	30405	1431388.1

(ii) अनुदान :-

ग्राम पंचायत बाथू के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के अनुदानों की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण**परिशिष्ट – क** पर भी दिया गया है।

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	725886	5607911		6333797	4201517	2132280
2016-17	2132280	3893686		6025966	1684345	4341621
2017-18	4341621	3070628		7412249	1569630	5842619

iii) आई० ए० वाई० :-

ग्राम पंचायत बाथू के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के आई० ए० वाई० की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण**परिशिष्ट – क** पर भी दिया गया है

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	6072	307500	846	314418	307500	6918
2016-17	6918	65000	454	72372	0	72372
2017-18	72372	130000	1453	203825	130000	73825

iv) मनरेगा :-

ग्राम पंचायत बाथू के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के मनरेगा की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण**परिशिष्ट – क** पर भी दिया गया है

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	0	1682662	0	1682662	1682662	0
2016-17	0	992420	0	992420	992420	0
2017-18	0	1493931	0	1493931	1493931	0

v) आई० डब्लयू० एम० पी VII:-

ग्राम पंचायत बाथू के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के आई० डब्लयू० एम० पी० - VII की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट -क** पर भी दिया गया है

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	2387.45	0	107	2494.45	67.98	2426.47
2016-17	2426.47	0	96	2522.47	2522.47	0
2017-18	0	0	0	0	0	0

अन्त शेष का विवरण :-

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-03-201 8 को रोकड़ बहियों व बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं०	निधि का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	बैंक में जमा शेष राशि	रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	अन्तर	अन्तर का कारण
1	स्वंय स्त्रोत व अनुदान	के० सी० सी० सी० बी० हरोली	20048072324	5380354.1	7274007.1		
		के० सी० सी० सी० बी० हरोली	20048031489	1241369			
		के० सी० सी० सी० बी० हरोली	50064943347	652260			
		योग		**7273983.1**	**7274007.1**	**24**	**हस्तगत शेष**
2	आई० ए० वाई०	के० सी० सी० सी० बी० हरोली	20048069785	73825	73825		
3	मनरेगा	पी०एन०बी० टाहलीवाल	2660000101028420	0	0		
4	आई० डब्लयू० एम० पी० - VII	पी०एन०बी० टाहलीवाल	2660000101087910	0	0		
			योग	**7347808.1**	**7347832.1**	**24**	

(ख) नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। परन्तु पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना पूर्ण रूप में नहीं की जा रही है। लेखांकन के मूलभूत नियमों के अनुसार बैंक समाधान विवरणी का प्रतिमाह बनाया जाना आवश्यक है। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा इन प्रावधानों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इस अनियमितता वारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) रोकड़ बही का बैंक खाते से मिलान न करना :-

रोकड़ बही के अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खाते से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमिता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालना :-

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्त शेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। यघपि रोकड़ बहियाँ पंचायत प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित तो की गई हैं परन्तु न तो इनमें अन्त शेष निकाले गए हैं और न ही नियमानुसार उनका सत्यापन हुआ है। रोकड़ बहियों के अन्त शेष न निकलने तथा बैंक खातों के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह सम्पूर्ण तथा सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करती है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

(ड.)नियमविरुद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्तमान में चार अलग–अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है । अतः नियमों के विरुद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन चार रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए

(च)नियमों के विरुद्ध बैंक बचत खातों को खोला जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वंय संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा दो के स्थान पर गत पैरा 4(1) में वर्णित छः बैंक बचत खाते खोले गए हैं । अतः नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में दो खातों के अतिरिक्त अन्य खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए

5 पंचायत राजस्व ₹0.97 लाख का वसूली हेतु शेष :-

सचिव ग्राम पंचायत, बाथू द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-03-2018 तक पंचायत राजस्व ₹96940 वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट – ख** पर भी दिया गया है।

(क) गृहकर :-

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	45460	17560	63020	3560	59460
2016-17	59460	17560	77020	0	77020
2017-18	77020	17560	94580	140	94440

(ख) मोबाईल टावर :-

i) एयरटेल

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	0	2500	2500	2500	0
2016-17	0	2500	2500	2500	0
2017-18	0	2500	2500	2500	0

ii) वोडाफोन

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2016-17	0	6500	6500	6500	0
2017-18	0	2500	2500	0	2500

टावर फीस के रूप में दिनांक31-03-2018 को वसूली हेतु = ₹2500

अतः उपरोक्त राजस्व की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

(3) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृह कर की मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृह कर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अतः गृह कर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में रजिस्टर नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 अनुदान ₹58,.43 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट- क के अनुसार दिनांक 31-03-2018 तक अनुदान ₹5842619 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की शर्तों के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जानाअपेक्षित था, अतः अनुदानो की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7 (i) (क) नीलामी की दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण 5 लाख की हानि :-

जाँच के दौरान पाया गया कि वितीय वर्ष 2015-16 में स्वां बेला घास-फूस का ठेका ₹125000 में श्री रविंदर सिंह सुपुत्र श्री रणजीत सिंह गांव व डा० बाथू को ब बितीय वर्ष 2016-17 के लिए स्वां बेला घास-फूस का ठेका ₹90000 में श्री दविंदर सिंह सुपुत्र श्री कश्मीर सिंह गांव व डा० बाथू को ब 2017-18 में श्री सुदर्शन सिंह सुपुत्र श्री साधू राम को ₹45000 में खुली बोली द्वारा नीलाम किया गया। नियमों के अनुसार गत वर्षों में अर्थात 2015-16 में उक्त ठेके से प्राप्त ₹125000 को आधार/आरक्षित मूल्य बना कर आरक्षित मूल्य से उच्च मूल्यों /दरों पर ठेका दिया जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त ठेके से गत वर्ष में प्राप्त आय को नजरअंदाज करके वितीय वर्ष 2016-17 में स्वां बेला घास-फूस का ठेका ₹90000 में तथा वितीय वर्ष 2017-18 ₹45000 में नीलाम कर दिया गया। नीलामी की दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण पंचायत को वितीय वर्ष 2016-17 में ₹35000 (125000-90000) व वितीय वर्ष 2017-18 में ₹80000 (125000-45000) कुल ₹115000 की आय की हानि हुई है जो कि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है। अतः वितीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त आय ₹125000 को आधार/आरक्षित मूल्य न बना कर वितीय वर्ष 2016-17 में उक्त स्वां बेला घास-फूस का ठेका ₹90000 तथा वितीय वर्ष 2017-18 ₹45000 में नीलाम करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में उक्त स्वां बेला घास-फूस की नीलामी का ठेका करते समय गत वर्षों में प्राप्त आय को आधार/आरक्षित मूल्य बना कर आरक्षित मूल्य से उच्च मूल्यों /दरों पर ठेका दिया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) वितीय वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2017-18 के लिए स्वां बेला घास-फूस की नीलामी की सूचना की शर्त संख्या -2 के अनुसार नीलामी करने से पूर्व बोलीदाताओं से ₹10000 प्रति बोलीदाता की दर से सिक्योरिटी लेनी अनिवार्य थी, लेकिन जाँच के दौरान पाया गया उक्त वितीय वर्षों में किसी भी बोलीदाता से नीलामी करने से पूर्व ₹10000 सिक्योरिटी नहीं ली गई थी। अतः नीलामी सूचना की शर्त संख्या -2 के अनुसार नीलामी करने से पूर्व बोलीदाताओं से ₹10000 प्रति बोलीदाता की दर से सिक्योरिटी प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व भविष्य में स्वां बेला

घास-फूस की नीलामी शर्तों को पूर्ण करने उपरान्त ही की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 (ii) ठेके की शेष बची ₹0.25 लाख की दिनांक 31-03-18 वसूली न करना :-

वितीय वर्ष 2017-18 में स्वां बेला घास-फूस की नीलामीका ठेका दिनांक 20-09-2017 को श्री सुदर्शन सिंह सुपुत्र श्री साधू राम को ₹45000 में दिया गया था। दिनांक 20-09-2017 को जी-8 संख्या 565935 के अनुसार ₹20000 की राशि ही प्राप्त की गई थी लेकिन दिनांक 31-03-2018 तक शेष ₹25000 वसूली हेतु शेष थी। अतः दिनांक 31-03-2018 तक वितीय वर्ष 2017-18 हेतु स्वां बेला घास-फूस की नीलामी की शेष बची ₹25000 की श्री सुदर्शन सिंह सुपुत्र श्री साधू राम से वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त वसूली हेतु शेष बची राशि की अविलम्ब वसूली करने उपरान्त इस विभाग को अबगत करवाया जाए।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किया बिना ₹3.69 लाख की निर्माण सामग्री व अन्य सामानका क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टोक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया की **परिशिष्ट म** में दिया गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹369287 की निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण कि ये बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः निर्माण सामग्री का क्रय नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 उचित बिलों के बगैर ₹2.45 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

जाँच के दौरान पाया गया कि स्वंय स्त्रोत व अनुदान निधि से **परिशिष्ट -घ** पर दिए गए विवरणानुसार ₹245100 की निर्माण सामग्री का क्रय किया गया, लेकिन उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बना कर भुगतान किया गया है। अतः उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व ₹245100 की क्रय की गई निर्माण सामग्री से सम्बन्धित आपूर्ति कर्तों से उचित बिल प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

10 ₹2.79 लाख की14 सोलर लाइट को सरकारी उपक्रम हिम उर्जा से क्रय न करना :-

जाँच के दौरान पाया गया कि वाऊचर संख्या 164 से 177 तक दिनांक 5/11/2015 को विन्सेंट एनर्जी एंडइंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड डबल्यू - 8 महेश छापर पार्क स्ट्रीट जयपुर ब्राँच ऑफिस गगरेट से 14 सोलर लाईट क्रय करने पर निम्नलिखित ₹278600 का व्यय किया गया था।

फर्म का नाम व पता	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
विन्सेंट एनर्जी एंडइंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड डबल्यू 8 महेश छापर पार्क स्ट्रीट ब्राँच ऑफिसगगरेट	सोलर लाइट सिस्टमएल ई डी 15 वाट, सोलर पैनल 1,पी वी मॉडयूल 60 वाट बैटरी	14	19900	278600

उपरोक्त उल्लेखित बिल/वाउचर की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है।

1) उपरोक्त उल्लेखित सोलर लाइटो को हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम हिम उर्जा से क्रय न करके विन्सेंट एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड डबल्यू -8 महेश छापर पार्क स्ट्रीट ब्राँच ऑफिस गगरेट से किया गया है। जबकि उक्त सोलर लाइटो को हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम हिम उर्जा से क्रय किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त सोलर लाइटो को हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम हिम उर्जा से क्रय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

2) उपरोक्त उल्लेखित क्रय की गई सोलर लाइटो की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व जारी/ स्थापित करने से सम्बन्धित अभिलेख मौजूद नहीं है। स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व जारी/ स्थापित करने से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उक्त क्रय की गई 14 सोलर लाइटों के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3) उपरोक्त उल्लेखित 14 सोलर लाइटों को क्रय करने से पूर्व सदन द्वारा कोई भी प्रस्ताब पारित नहीं किया गया है व न ही सदन द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सदन द्वारा 14 सोलर लाइट सिस्टम को क्रय करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पारित न करने के बगैर उक्त सोलर लाइट को क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

11 मनरेगा में मस्टररोलो के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी ₹6 लाख के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

1) जाँच के दौरान पाया गया कि मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाथू द्वारा **परिशिष्ट -ड.**पर दिए गए विवरण अनुसार करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों में मस्टररोलो के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी ₹575949 के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि जितना मजदूरी मस्टररोलो के अंतर्गत भुगतान की गई दर्शाई है वास्तव में उतनी ही मजदूरी सम्बन्धित व्यक्तियों के बैंक खातों में भी हस्तांतरित हो गई है। अतः उक्त मस्टररोलो के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी ₹575949 के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

2) **परिशिष्ट -ड**पर दर्शाए गए विवरण अनुसार क्रम संख्या 1 से 18 पर उल्लेखित भुगतान की गई मजदूरी ₹575949 से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएँ जहाँ पर कार्य प्रगति (progress) दर्ज है, अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः उक्त कार्यों से सम्बंधित माप पुस्तिकाएँ सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

3) परिशिष्ट -ड.पर दर्शाए गए विवरणानुसार क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित मस्टररोल संख्या 1556 से 1559 पर भुगतान दर्शाई गई मजदूरी का वास्तविक योग ₹65448 बनता है, जबकि भुगतान आदेश व रोकड़ बही के व्यय पक्ष में ₹67068 व्यय के रूप में दर्ज किए गए हैं। फलस्वरूप ₹1620 (67068 - 65448) का अधिक भुगतान किया गया है। उक्त मस्टररोलों के अन्तर्गत मजदूरों के खातों में राशि जमा करवाने से सम्बन्धित अभिलेख भी सत्यापनार्थ हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त अधिक भुगतान दर्शाई गई मजदूरी की संस्था स्तर पर जांच की जाए व किसी भी अधिक भुगतान की की अवस्था में अधिक भुगतान की गई मजदूरी की वसूली उतरदायित्व निर्धारित करने उपरान्त सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारी/अधिकारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4) **परिशिष्ट -ड.**पर दर्शाए गए विवरणानुसार क्रम संख्या18 पर उल्लेखित मस्टररोल संख्या1859 परश्रीमती उर्मिला देवी के 5 कार्य दिवसों की जगह 6 कार्य दिवसों का भुगतान करने के कारण ₹179 (1074-895) का अधिक भुगतान किया गया है। अतः उक्त अधिक भुगतान की वसूली

उतरदायित्व निर्धारित करने उपरान्त सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारी/अधिकारी / सम्बन्धित मजदूर से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **अंकेक्षण अवधि1-04-15 से 31-03-18 तक के दौरान क्रय सामग्री की मात्रा की मापन ईकाई को ट्राली के रूप में गलत दर्शाना :-**

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: पी सी एच – एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-07-2016 के अनुसार "ग्राम पंचायत रेत, बजरी, पत्थर, सीमेंट व लकड़ी आदि के क्रय के सन्दर्भ में निर्धारित ईकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत, बजरी निर्धारित घन फुट (cubic foot) के अनुसार" परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत , बाथू द्वारा अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में क्रय रेता, बजरा, बजरी पत्थर की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति एवं जारी/खपत प्रविष्टियाँ ट्राली इत्यादि के रूप में दर्ज की गई व तदानुसार माप पुस्तिकाओं में कार्य का मूल्यांकन करते समय सम्पूर्ण सामग्री जैसे कि रेता, बजरा, बजरी पत्थर इत्यादि को ट्राली के रूप में दर्शाया गया है। जो कि कार्य नियमों की गम्भीर अवहेलना होने के साथ-साथ अव्यवहारिक एवं आपतिजनक है एवं नियमानुसार निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में क्रय रेता, बजरा, बजरी पत्थर इत्यादि की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में ही मापा जा सकता है व ट्राली/ फुट के रूप में मापन असम्भव है। अतः निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में रेता, बजरा, बजरी, पत्थर की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में क्रय न करके ट्राली के रूप में क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में रेता, बजरा, बजरी, पत्थर की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **स्त्रोत पर कर कीकटौती न करना :-**

आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वितीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किये गए ₹30000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से स्त्रोत पर कर की कटौती की जानी अपेक्षित है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई है। अतः अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक स्त्रोत पर कर की कटोती न करने के कारण स्पष्ट किए जायें ब भविष्य में बिहित प्रावधानों के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती कीजानी सुनिश्चित की जाए।

14 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख-रखाव न किया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 74(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत को वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख-रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है व न ही अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

15 नियमानुसार निवेश न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Fund) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेश किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वितीय स्थिति के अवलोकन में यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था । नियमानुसार निवेश न करने के कारण पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस वारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार निवेश करना सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप - 1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार निवेश रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

16 स्टोर सामग्री का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना :-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से निम्नलिखित विधि से एक उप समिति गठित करेगी।

(क) ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिव।

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत बाथू द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय करने व उपायन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया था। जो कि पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) की अवहेलना है। अतः स्टोर (सामग्री) उपायन समिति के गठन के बिना क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय की गई स्टोर (सामग्री) को सक्षम अधिकारी से कर्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए।

17 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करना :-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। सहभागी समिति निम्नलिखि सदस्य शामिल कर गठित की जानी अपेक्षित थी।

(i) सम्बन्ध ग्राम पंचायत का प्रधान/उप प्रधान

(ii) सम्बन्ध वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य

(iii) महिला मंडल से एक सदस्य

(iv) सम्बन्ध क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान से एक सदस्य

अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाथू द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया था व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना स्वंय करवाए गए हैं, जो कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय – ण के उप नियम – 93 व पारदर्शी नियमों की अवहेलना है। अतः निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यो को सक्षम अधिकारी से कर्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य सहभागी समिति अथवा उप नियम – 93 (b) के अनुसार पंजीकृत संस्था जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल व

वाटर शैड कमेटी इत्यादि के माध्यम से करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 व 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5	विभिन्न अनुदानों के बही खाते	7	29(1)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)

19 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड का रख-रखाव न करना :-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख रखा जाना अनिवार्य है।

(i) रोजगार रजिस्टर (B-9)

(ii) शिकायत रजिस्टर (B-11)

(iii) आवेदन पंजीकरण रजिस्टर (B-7)

ग्राम पंचायत बाथू द्वारा उपरोक्त अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन

तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार /अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

21 **प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 **लघु आपति विवरणिका** यह अलग से तैयार नहीं की गई है।

23 **निष्कर्ष :-** लेखों के रख-रखाव में सुधार के अतिरिक्त पंचायती राज अधिनियम में बिहित नियमों की कड़ाई से अनुपालना की जानी नितांत जरूरी है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(v) 36/2018 खण्ड–1–5045–5048 दिनांक 27.07.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत बाथू, विकास खण्ड हरोली, तहसील हरोली, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, ऊना जिला ऊना हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हरोली, तहसील हरोली, जिला ऊना हि0प्र0।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

फोन नं0 0177–2620046